फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाड़ा)

रमेश पिता छगना जाति मीणा निवासी मायला पोलिया आदि

बनाम

मागुता पिता स्वरूप मीना निवासी मायला पोलिया वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 245/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षरात्मक अज	नम्बर व तारीख अदालत जो हुक्म की तामील में जारी हुई
12.04.2021	प्रार्थना पत्र लिये से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम मायला पोलिया पटवार हल्का अमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 606 रकबा 01.06 बीघा, आ.न. 836 रकबा 02.04 बीघा, आ.न. 1028 रकबा 01.03 बीघा कुल किता 03 रकबा 04.13 बीघा स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगड़ा करते हैं। अतः पत्थरगड़ी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 तक के अवलोकन से पत्थरगड़ी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की है, प्रतिवादीगण के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगड़ी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 राले ए एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मायला पोलिया पटवार हल्का अमरवासी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 606 रकबा 01.06 बीघा, आ.न. 836 रकबा 02.04 बीघा, आ.न. 1028 रकबा 01.03 बीघा कुल किता 03 रकबा 04.13 बीघा की बसामतात पड़ौसियान के पत्थरगड़ी करने हेतु मू. अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 600 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर (भीलवाड़ा)	

Scanned with CamScanner